

पत्रांक: 3070 / 1227 / यूपीडा / 22

दिनांक 08 अगस्त, 2023

विज्ञापन

डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के लखनऊ नोड पर बनी मोहान रोड से डिफेन्स कॉरीडोर तक ग्राम-भटगांव, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ में प्रस्तावित मार्ग निर्माण में बाधक 79 हरे खड़े वृक्षों के पातन की अनुमति प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के द्वारा प्रदान की गयी है। कृपया मौके पर वृक्षों का निरीक्षण कर वृक्षों को पातन करने एवं ढुलान कर ब्रम्होस एयरोस्पेस के प्रांगण में सुरक्षित रखने के लिए अपना कोटेशन बंद लिफाफे में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा, सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 के नाम से विज्ञापन जारी होने के तिथि से 05 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

शर्तें

1. कटान अवधि में कोई भी अवैध पातन नहीं किया जायेगा। अवैध पातन के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. कार्य स्थल से कटान एवं ढुलान कर ब्रम्होस एयरोस्पेस के प्रांगण में सुरक्षित रखने का कार्य कार्यादेश निर्गत होने के 07 दिवसों के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा।
3. ठेकेदार सीलबंद लिफाफे में वृक्षों को काटने व ढुलान के लिए आपके द्वारा प्रस्तावित/उद्धरित धनराशि को संख्या एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करेगा। वृक्षों को काटने व ढुलान के लिए कम से कम धनराशि उद्धरित करने वाले को सफल कोटेशनदाता घोषित किया जायेगा।
4. सफल कोटेशन दाता की धनराशि से 10 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
5. कोटेशनदाता का टर्न ओवर यदि रू0 20.00 लाख से अधिक होगा तो जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जायेगी अन्यथा कोटेशनदाता को कोटेशन देते समय यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका टर्नओवर रू0 20.00 लाख से कम है। यदि वह रजिस्टर्ड फर्म का स्वामी एवं आयकर दाता नहीं है तो उसको अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना होगा।
6. कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ बैंक पासबुक की छायाप्रति, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति जो स्वं प्रमाणित होगी, उपलब्ध कराना होगा।
7. काटे गये प्रत्येक वृक्ष से प्राप्त प्रकाष्ठ/बोटो की नपत व संख्या तथा जलौनी की मात्रा का विवरण प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(श्रीहरि प्रताप शाही)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी